रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2014/चैत्र 26, 1936
No. 211] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2014/CHAITRA 26, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 281(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13, उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' पुस्तकालय के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' पुस्तकालय) पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना.** —ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.** —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.** —वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति. —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01 (2014)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	(i) प्रोन्नति : ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में सात वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हैं :— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री, और (ख) पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे

	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु में कम से कम सात वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री ; और (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो वांछनीय :- (i) केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय क्रियाकलापों के कंप्यूटरीकरण का एक वर्ष का अनुभव हो (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर (एप्लीकेशन) उपयोजन का डिप्लोमा टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य —अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

2. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य — सदस्य 3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	10 (2014)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0	अचयन	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; **(ii)** केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो **वांछनीय :- (i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; **(ii)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में डिप्लोमा **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री रखना आवश्यक है ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	
चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	(i) प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो :-	

संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन अधिकारी : (क) (i) जो सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित अर्हता और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति, के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य – अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य - सदस्य 3.प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पुस्तकालय और सूचना सहायक	06 (2014)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न

					कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; **(ii)** केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो **वांछनीय :-** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में डिप्लोमा **टिप्पण 1 -** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 -** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रति नियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित अर्हता और अनुभव रखता हो । टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य – अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य 3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उप रजिस्ट्रार - सदस्य	

[फा. सं. ए.– 12011/2/2013-एटी]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2014.

G.S.R. 281(E).– In exercise of the powers conferred by section 35 read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' Library Posts in the Central Administrative Tribunal, namely: -

(1) Short title and commencement.-These rules may be called the **Central Administrative Tribunal (Group 'A' and Group 'B' Library Posts) Recruitment Rules, 2014**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts mentioned in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.- The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of said posts in the Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay band and grade pay or pay scale**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Library and Information Officer	1(2014)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment:- Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.**
(10)	(11)
Promotion, failing which by deputation (including short term contract)	**(i) Promotion: -** Assistant Library and Information Officer with seven years regular service in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4600/- and possessing the following qualification and experience:- (a) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (b) successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that commission. (ii) Deputation (including Short Term Contract) : - Officers under Central or State Government or High Courts and

	Courts subordinate thereto- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with at least seven years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs.4600/-; and (b) possessing the educational qualification and experience as under:- (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute; and (ii) five years' professional experience in a Library under Central or State Government or High Courts and Courts subordinate thereto. **Desirable:** (i) One year experience of computerizing Library activities in a Library under the Central or State Government or High Courts and Courts subordinate thereto; (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University Note 1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 4: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1.Chairman, Central Administrative Tribunal or a Member nominated by the Chairman,Central Administrative Tribunal - Chairman 2. Member, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman- Member 3. Principal Registrar or Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Library and Information Officer	10 (2014)	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4600/-.	Non-selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note: -** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: - **(i)** A Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; **(ii)** two years' professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution **Desirable: -** **(i)** Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No Educational Qualification: No, but must possess Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute.	Two years for direct recruits

(10)	(11)
40 percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) and 60 percent by deputation (including short term contract), failing which by direct recruitment	**(i) Promotion: -** Library and Information Assistant with five years regular service in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs.4200/- and successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science. (Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of

	the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1^{st} January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6^{th} Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that commission. **(ii) Deputation (including Short Term Contract) : -** Officers under Central or State Government or High Courts and Courts subordinate thereto- (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with at least five years regular service in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/-; and possessing the qualification and experience mentioned for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officer in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- **1**. Chairman, Central Administrative Tribunal or a Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2**. Member, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** 3. Principal Registrar or Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal¬ - **Member**	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Library and Information Assistant	06 (2014)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4200/-	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: - (i) A Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognized Research and Educational Institution. **Desirable: -** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

(10)	(11)
Direct recruitment	**Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government –

	(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in the pay band-2 Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- ; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- **1**. Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2**. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal - **Member** **3**. Deputy Registrar to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable

[F. No.A-12011/2/2013-AT]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.